न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 38/2021
GCMS Case No. 2021/126

सायल :– **बनाम** **गैरसायलः–**

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

जगदीश पुत्र श्री प्रतापराम जाति रेगर निवासी 452 सर्वोदय नगर,पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से अभियोजन अधिकारी पाली
गैर सायल स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक :– 23-3-2023

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 02.07.2021 को गैरसायल जगदीश पुत्र श्री प्रतापराम जाति रेगर निवासी 452 सर्वोदय नगर,पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2002 से 2019 तक कुल 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। तीनो प्रकरणों में गैरसायल दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	फैसला दिनांक	निर्णय
1	73/2002	13 आरपीजीओ	-	-
2	57/2019	13 आरपीजीओ	02-4-2019	100/– रू. जुर्माना।
3	327/2019	13 आरपीजीओ	03-12-2019	50/– रू. जुर्माना।

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल जगदीश पुत्र श्री प्रतापराम जाति रेगर निवासी 452 सर्वोदय नगर,पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली अन्य लोगो को भी अपराध करने के प्रेरित करता है। गैर सायल की आपराधिक प्रवृति के चलते आमजन में भी इसका दुष्प्रभाव पड रहा है, इसके कार्यकलापो से की वजह से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। यह व्यक्ति पुलिस कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा अपराध करने की रोकथाम के काफी प्रयास करने के बावजूद भी अपराध करता रहता है व अपराध प्रवृति में लिप्त है, जो आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2(ख)(5)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना औ.क्षेत्र पाली जिला पाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अपराधी है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैर सायल ने वक्त बहस कथन किया कि उसके विरूद्ध समस्त प्रकरण पुराने है तथा वर्तमान वह एक आम जीवन बसर कर रहा है तथा मजदूरी कर के अपना परिवार चला रहा है। वह अब जुआ नही खेलता है न ही अन्य लोगो को इसके लिए प्रेरित करता है। अतः उसके विरूद्ध पेश इस्तगासा खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पाली के मुकदमा नम्बर 117/2019 में दिनांक 2.4.2019 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आरपीपीजीओ के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर 100/– रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया इसी प्रकार माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 पाली के मुकदमा नम्बर 327/2019 में दिनांक 3.12.2019 को आदेश पारित करते हुए धारा 13 आरपीपीजीओ के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 50/– रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित कर रिहा किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल जगदीश पुत्र श्री प्रतापराम जाति रेगर निवासी 452 सर्वोदय नगर,पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 13 आरपीजीओ के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र पाली जिला पाली से निष्काषित कर पुलिस थाना लूणी जिला जेाधपुर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 13-4-2023 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

करेगा। गैरसायल प्रतापसिंह इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली गैरसायल जगदीश को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी औधोगिक क्षेत्र पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना औधोगिक क्षेत्र,पाली जिला पाली एवं थानाधिकारी लूणी जिला जोधपुर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)